

उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली  
 मुकदमा नं० 349 / 2022 तारीख रजू :- 8-12-2022  
 दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/729 उनवान  
 महेश पुत्र उँकार जाति संजोगी निवासी ग्राम कोटराढहर तहसील हिण्डौन सिटी जिला  
 करौली राजस्थान —वादीगण-02

बनाम  
 विजय पुत्र सरूपलाल जाति मीना निवासी कालाखाना तहसील हिण्डौन जिला करौली  
 राजस्थान —प्रतिवादीगण-02

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री पी एल गोयल एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.01.2023 को पेश हो।</p> <p>(सुरेश कुमार हरसोलिया)                  उपखण्ड अधिकारी                  हिण्डौन जिला करौली</p> <p>5/1/2023 वकूलाय उपस्थित/पीठारीन अधिकारी...                  पधार है। गतानुसार दिनांक 20/2/2023 को पेश हो।</p>
28/2/23	<p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार फ्लेसियेशन द्वारा काम किया गया है अतः पत्रावली फ्लेसियेशनानुसार दिनांक 27-1-23 को पेश हो।</p>
10/8/23	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठारीन अधिकारी...                  पधार है। गतानुसार दिनांक 11-8-23 को पेश हो।</p>
11/8/23	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठारीन अधिकारी...                  पधार है। गतानुसार दिनांक 16-8-23 को पेश हो।</p>
16/8/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वाकी वकील उपाधील/Hot Press                  वाकी वकील ने अवगत कराया कि वाकी                  उपाधील वाकी वकील वकील वकील वकील                  उपाधील वकील वकील वकील वकील वकील                  अतः मुकदमा नं० 349/22 दावा प्रद्वेष बनाम                  विजय पुत्र सरूपलाल निवासी कालाखाना                  पत्रावली दिनांक 16/8/23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी                  हिण्डौन सिटी (करौली)</p>